



2026:AHC-LKO:12970-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 212 / 2024

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ व अन्य याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

अजय शंकर सिंह व 37 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	तुषार वर्मा (ए.सी.एस.सी)
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	आशुतोष शाही, राकेश कुमार सिंह

न्यायालय मुख्य न्यायाधीश

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

1. अपील में 154 दिनों का विलंब है। विलंब को क्षमा करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।
2. शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन में बताए गए कारणों के आधार पर, उसे स्वीकार किया जाता है। अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।
3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान विशेष अपील में शामिल मुद्दा उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. सरकार, लखनऊ व अन्य बनाम मनोज कुमार सिंह : विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 210 / 2024 के समान है, जिसे आज यानी 18.02.2026 को परित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।
4. मनोज कुमार सिंह (सुप्रा) के मामले में बताए गए कारणों के आधार पर, वर्तमान विशेष अपील भी खारिज की जाती है।

(जसप्रीत सिंह, जे.) (अरुण भंसाली, सीजे.)

18 फरवरी, 2026

आर.के./ए.एच.ए.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"